न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**सुन्दर लाल खारोल**, आर.जे.एस., (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी वाद संख्या	:	13 / 2026
सीएनआर नम्बर	:	RJDK050001882026
अनवान	:	सुखाराम बनाम सुखेन्द्र सिंह व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :—
1. प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पुरी।
2. अप्रार्थी / वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामनिवास दिवाकर।

:: आदेश ::

दिनांक :—11.05.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए सी.पी.सी), 1908 दिनांक 08.05.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि हस्तगत वाद में वादी द्वारा तीन तथाकथित इकरारनामा दिनांक 08.06.2025 की पालना के लिए वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सुखेन्द्रसिंह के मध्य प्रतिफल राशि 1,70,000 / — दिनांक 08.06.2025 तथा दूसरा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 08.06.2025 का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश कंवर के मध्य प्रतिफल राशि 1,70,000 / — तथा तीसरा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 08.06.2025 का वादी व प्रतिवादी संख्या 03 योगेश कंवर के मध्य प्रतिफल राशि 1,70,000 / — हेतु पेश किया है।

3. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे वर्णित किया कि उक्त तीनो इकरारनामो मे दूसरा पक्षकार भिन्न भिन्न होने से प्रत्येक इकरारनामा Independent Contract है। वादी को हर संविदा की पालना के लिए Separate Suit लाना पडेगा, परन्तु वादी द्वारा Inproper Joinder कर तीनो संविदाओ को जोडकर गलत रूप से माननीय न्यायालय का बनाया है तथा तीनो अलग—अलग संविदाओ के लिए एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि के प्रावधानो से वर्जित है। वादी का धारा 6 व आदेश 1 नियम 1 व आदेश 2 नियम 3 सीपीसी का उल्लघंन किया गया है। वादी ने संविदा की पालना की आड में घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में वादी का वादपत्र नामंजूर किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर, सीधे ही मौखिक बहस करने का निवेदन किया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति करते हुए तर्क दिये कि वादी ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के साथ अलग—अलग इकरारनामे होने के अभिवचनो के साथ वादपत्र पेश किया है। चूंकि उक्त इकरारनामो में द्वितीय पक्षकार अलग—अलग है, ऐसे में वादी को प्रत्येक इकरारनामे हेतु पृथक से वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। वादी द्वारा एक ही वाद में सभी इकरारनामो को शामिल कर किया है। वादी ने आदेश 2 नियम 03, आदेश 1 नियम 1 तथा धारा 06 सीपीसी के प्रावधानो की पालना नही करने से वादपत्र विधि द्वारा बाधित है। ऐसे में वादी का वादपत्र नामंजूर किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त Shri Goyal Agro Tech Private Limited Vs Smt Hajjani Shamim Bano Law Finder Doc Id#2534994 प्रस्तुत किया है।

6. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि हस्तगत वाद पत्र में तीनो इकरारनामे एक ही जमीन को लेकर तथा एक ही कुटुम्ब के सदस्यो के मध्य होने से इनकी पालना का वाद एकसाथ प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा पृथक पृथक वाद प्रस्तुत करने से वादो की बहुल्यता होती तथा न्यायालय का अमूल्य समय व्यर्थ होता। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण प्रकरण में सुनवाई में विलम्ब कारित करने के उददेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषनीय होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपांत अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया जाकर प्रतिपादित सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया गया।

8. प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए तो प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण मुख्य आधार अप्रार्थी/वादी द्वारा तीन अलग—अलग इकरारनामो के संदर्भ मे हस्तगत एक वाद प्रस्तुत करना है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा आदेश 2 नियम 3 सीपीसी का उल्लघंन करने का आक्षेप मुख्य रूप से अधिरोपित किया है।

9. इस संबंध में सर्वप्रथम वाद में प्रतिवादी कौन हो सकता है, इस तथ्य का अवलोकन किया जाए तो आदेश 1 नियम 3 सीपीसी इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान करती हैः–

> **Order 1 Rule 3. Who may be joined as defendants.—**
> All persons may be joined in one suit as defendants where—
> (a) any **right to relief** in respect of, or arising out of, the same act or transaction or **series of acts or transactions** is alleged to exist against such persons, whether jointly, severally or in the alternative; and
> (b) if separate suits were brought against such persons, any **common question of law or fact would arise**.

10. इसके अतिरिक्त आदेश 2 नियम 3 सीपीसी निम्न प्रावधान करता हैः–

> **Order 2 Rule 3. Joinder of causes of action.—**
> (1) Save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action against the same defendant, or the same defendants jointly; and any plaintiffs having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such causes of action in the same suit.
> (2) Where causes of action are united, the jurisdiction of the Court as regards the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject-matters at the date of instituting the suit.

11. इस प्रकार आदेश 1 नियम 3 सीपीसी के अनुसार यदि किसी हस्तान्तरण की श्रृंखला के कारण कोई अनुतोष का अधिकार उत्पन्न होता है, तो श्रृंखला के सभी सदस्यो को वाद के प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया जा सकता है।

12. यह सुस्थापित है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्तर पर मात्र वादपत्र का पठन किया जा सकता है। वादपत्र के अवलोकन से श्रीमति मानकंवर द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 21.11.2021, उनके पिता जोरसिंह के 1/7 हिस्से के संबंध में किया था। वादी ने उक्त श्रीमति मान कवंर की मृत्यु होने से, उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 सुखेन्द्रसिंह, प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमति कमलेश्वर कंवर तथा प्रतिवादी संख्या 03 श्रीमति योगेश कंवर से दिनांक 13.04.2025 को प्रत्येक से इकरारनामा करना दर्शित होता है।

13. वादपत्र के समग्र अवलोकन से वादपत्र में वादी द्वारा श्रीमति मानकंवर से 1/7 हिस्से के इकरारनामा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिसान के साथ तीन इकरारनामा सम्पादित किए है। उक्त तीनो इकरारनामे एक ही दिनांक 13.04.2025 को

तथा सभी में कॉमन गवाह राजूराम व गोपालसिंह के समक्ष होना दर्शित होता है।

14. ऐसे में यह तीनो इकरारनामो का उददेश्य वादी द्वारा श्रीमति मानकवंर से 1/7 हिस्से के सम्बन्ध में किए गए इकरारनामे तथा श्रीमती मानकवंर की मृत्यु होने का परिणाम है। ऐसे में तीनो इकरारनामो का वाद हेतुक समान है, तीनो को साबित करने के गवाह प्रथमदृष्टया समान है। ऐसे में पृथक पृथक वाद पत्र प्रस्तुत करने से मात्र वाद बाहुल्यता होगी।

15. अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Shri Goyal Agro Tech Private Limited Vs Smt Hajjani Shamim Bano Law Finder Doc Id#2534994 में पृथक पृथक संविदा विभिन्न प्रतिफल के संदर्भ में की गई है तथा जिनका वाद हेतुक भी पृथक पृथक है। उसमें वादी अधिवक्ता द्वारा प्रथम संविदा के मियाद बाहर होने के तथ्य को छुपाते के उददेश्य से चारो संविदा के संबंध में एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत मामले में तथ्य पूर्णतः पृथक है, यहां वाद हेतुक भी समान है, इकरारनामे करने का उददेश्य भी समान है। ऐसे में उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रार्थी पक्ष को कोई सहायता प्रदान नही करता है।

16. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

— :: <u>आदेश</u> ::—

17. अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी दिनांक 08.05.2026, एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)

18. आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)